न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 137 / 2022

1 तौफा देवी पत्नी श्री फूलचन्द
2 रतनी पुत्री फूलचन्द
3 धर्मपाल पुत्र फूलचन्द नाबालिग
4 गीता पुत्री फूलचन्द नाबालिग
5 विजेन्द्र पुत्र फूलचन्द नाबालिग
जरिये संरक्षिका माता तौफा देवी पत्नी श्री फूलचंद समस्त जाति कीर निवासीगण कीरों की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 फूलचन्द पुत्र समदर
2 सुरजी देवी पत्नी समदर
3 कमला पुत्री समदर पत्नी अर्जुन जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। हाल आबाद चौमू जिला जयपुर।
4 गट्टू पुत्री समदर पत्नी राजू जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। हाल आबाद चौमू जिला जयपुर।
5 रामदेवा पुत्र बालूराम जाति मीणा निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 झण्डूराम पुत्र कालूराम
7 हरिराम पुत्र कालूराम
8 भोलाराम पुत्र कालूराम
9 दुर्गी पुत्री कालूराम
10 सज्जना पुत्री कालूराम
11 तुलसी पुत्री कालूराम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 बनवारी पुत्र सुरजाराम
13 मूलचन्द पुत्र सुरजाराम
14 मोहनी पुत्री सुरजाराम
15 बिमला पुत्री सुरजाराम समस्त जाति कीर निवासीगण कीरों की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
16 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.05.2022 सहायक
कलेक्टर नवलगढ़ मु.नं. 131/2015
उनवानी रतनी देवी बनाम फूलचंद

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 28.1.26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 131/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 504 वाके ग्राम भोजनगर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक

अखिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी • सीकर •

डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र में चाही गई सिद्धी से अधिक गलत रूप से नहीं दिया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में खसरा नम्बर 504, रकबा 3.74 है. में वादीगण के दादा समदर सिंह की 1.1366 है. भूमि में से 1/20 हिस्सा प्रत्येक वादीगण के नाम तथा प्रतिवादी नं. 1 के नाम घोषित किया जाकर विभाजन किये जाने हेतु सिद्धी चाही गई है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के हक अधिकारों से अधिक की भूमि की घोषणा की गई है। सम्पूर्ण 3.74 है. में से वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/20–1/20 नहीं है इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र के तथ्यों के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जहां पर व्यक्ति के जीवनकाल में उसके वारिसानों में सम्पत्ति का विभाजन किया जा रहा हो वहां पर व्यक्ति की पत्नी का हिस्सा भी अलग किया जाना कानूनन आवश्यक है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट संख्या 5, रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं. 1 की पत्नी है। अपीलान्ट संख्या 5 ने पूर्व में अपने हिस्से की अलग से घोषणा करवाये जाने का दावा नहीं किया था परन्तु दावा किये जाने के पश्चात प्रतिवादी नं. 1 द्वारा अपीलान्ट संख्या 5 को भी धमकी दी जाने लगी कि मैं तुम्हे कोई हिस्सा नहीं दूंगा तथा मेरे नाम खातेदारी की भूमि को अन्यों को विक्रय कर दूंगा। दावा का निर्णय दिनांक 16.05.2022 को होने के पश्चात प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा पुनः तरह–तरह से अपीलान्ट संख्या 5 को प्रताड़ित किया जाने लगा तथा धमकी दी जाने लगी कि तुम्हारे लिए जमीन का कोई हिस्सा नहीं छोडुंगा। उपरोक्त प्रकार से वादग्रस्त भूमि में यदि अपीलान्ट संख्या 5 के लिए कोई हिस्सा नहीं बचेगा तो उसे अपने वैध अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा इसलिए अपने पति के हिस्से में से

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (भू-प्रबंध) • सीकर •

1/2 हिस्से की भूमि को अलग किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट नं. 5 का हिस्सा भी अलग किया जाने हेतु अपील सेवामें पेश है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 3.74 है. में से वादीगण के दादा समदर का हिस्सा 1/3 था जिसमें से 0.11 है. भूमि प्रतिवादी नं. 5 को विक्रय करने के पश्चात 1.1366 है. भूमि वादीगण के दादा समदर के पास शेष बची थी। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 की पैत्रिक भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के 1/20 हिस्से में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट नं. 5 का है अर्थात 1.1366 है. में से 1/40 हिस्से की हक अधिकारी अपीलान्ट नं. 5 है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 को निरस्त फरमाया जाकर खसरा नम्बर 504 रकबा 3.74 है. में से 1.1366 है. में अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 को 1/20–1/20 हिस्से का अपीलान्ट संख्या 5 को 1/40 हिस्से का तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को 1/40 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जाना न्यायोचित है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 3.74 है. में समदर पुत्र बोदू के नाम दर्ज आराजी 1.1366 है. में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 को 1/20–1/20 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 को हिस्सा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/4–1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के विरूद्ध ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 3.74 है. में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 को 1/20–1/20 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 को हिस्सा 1/4–1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया है।

स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वाद के अनुतोष एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पूर्वज समदर का हिस्सा जांच किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.1.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)